

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO. 2026/196

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सांवरडा व भूअ.नि राखी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार समदडी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार समदडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सांवरडा	273	दलाकी पुत्री मोडनाथ	दरियादेवी उर्फ दलाकी पुत्री मोडनाथ
2			सुजा पुत्री मोडनाथ	सुजी पुत्री मोडनाथ
3			सतकी पुत्री मोडनाथ	संतोषदेवी उर्फ सतकी पुत्री मोडनाथ
4			होकी पुत्री मोडनाथ	पार्वती उर्फ होकी पुत्र मोडनाथ

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2026/ 189
प्रतिलिपि -

दिनांक:-09.02.2026

1. तहसीलदार समदडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी दरियादेवी, सुजी, संतोषदेवी पुत्री मोडनाथ
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)